सत्यमेव जयते

THE

JHARKHAND GAZETTE

EXTRAORDINARY

PUBLISHED BY AUTHORITY

3 Ashadh , 1943 (S)

No. 319

RANCHI, Thursday, 24th June, 2021

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Notification No. 08/2021 – State Tax

S.O. No. 36, Dated 23rd June, 2021-- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 50 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) read with section 148 of the said Act, the Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in notification of the Government of Jharkhand in the Commercial Taxes Department, S.O. No. 49 – State Tax, dated the 29th June, 2017, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, namely:–

(i) In the said notification, in the first paragraph, in the first proviso, in the Table after S. No. 3, the following shall be inserted, namely: –

(1)	(2)	(3)	(4)
“4.	Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 5 crores in the preceding financial year	9 per cent for the first 15 days from the due date and 18 per cent thereafter	March, 2021, April, 2021

5.	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year who are liable to furnish the return as specified under sub-section (1) of section 39	Nil for the first 15 days from the due date, 9 per cent for the next 15 days, and 18 per cent thereafter	March, 2021, April, 2021
6.	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 5 crores in the preceding financial year who are liable to furnish the return as specified under proviso to sub-section (1) of section 39	Nil for the first 15 days from the due date, 9 per cent for the next 15 days, and 18 per cent thereafter	March, 2021, April, 2021
7.	Taxpayers who are liable to furnish the return as specified under sub-section (2) of section 39	Nil for the first 15 days from the due date, 9 per cent for the next 15 days, and 18 per cent thereafter	Quarter ending March, 2021.”.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the 18th day of April, 2021.

[File. No. VaKar/GST/01/2020]
By the order of the Governor of Jharkhand,

Aradhana Patnaik),
Secretary,
Commercial taxes Department.

Note: The principal notification S.O. No. 49 – State Tax, dated the 29th June, 2017, was published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, and was last amended *vide* notification number 51/2020 – State Tax, dated the 04th September, 2020, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, *vide* S.O. No. 69, dated the 04th September, 2020.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना संख्या - 08/2021-राज्य कर

एस. ओ. सं. 36, दिनांक 23 जून, 2021-- सरकार, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 50 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 148 द्वारा पदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, झारखण्ड सरकार, वाणिज्य-कर विभाग की एस. ओ.सं. 49- राज्य कर, दिनांक 29 जून 2017, के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् -

(i) उक्त अधिसूचना के प्रथम अनुच्छेद में प्रथम परंतुक में, निम्नलिखित को तालिका में क्र॰सं॰3 के बाद अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् -

(1)	(2)	(3)	(4)
"4	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक हो	नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए 9 प्रतिशत, उसके बाद 18 प्रतिशत	मार्च 2021, अप्रैल 2021
5	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो, जो धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं	नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले पंद्रह दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत	मार्च 2021 , अप्रैल 2021
6	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो, जो धारा 39 की उपधारा(1) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं	नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले पंद्रह दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत	मार्च 2021, अप्रैल 2021

7	करदाता जो धारा 39 की उपधारा (2) के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी हैं	नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य, उसके बाद अगले पंद्रह दिन के लिए 9 प्रतिशत और उसके बाद 18 प्रतिशत	तिमाही जो मार्च 2021 को समाप्त हो रही है ।"।

2. इस अधिसूचना को अप्रैल, 2021 के 18वें दिन से लागू माना जाएगा ।

[सं.सं.वा०कर/जी०एस०टी/01/2020]

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

आराधना पटनायक,
सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग ।

नोट: मूल अधिसूचना एस. ओ. सं. 49, राज्य कर, दिनांक 29 जून 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसका आखिरी बार संशोधन अधिसूचना सं॰ 51/2020- राज्य कर, दिनांक 04 सितम्बर, 2020, जिसे एस. ओ. सं. 69, दिनांक 04 सितम्बर, 2020, के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 319 -- 50